



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 06]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938

No. 06]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2017

**सा.का.नि. 6(अ).**—केन्द्रीय सरकार, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम 1952 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित स्कीम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) स्कीम 2017 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

2. कर्मचारी भविष्य निधि स्कीम, 1952 में,—

(क) पैरा 38 के उपपैरा (1) में, “या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से” शब्दों और अक्षरों के पश्चात् “या भारत में अनुसूचित बैंकों जिनके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) पैरा 48 में, “या पेजीओवी प्लेटफार्म के माध्यम से” शब्दों और अक्षरों के पश्चात्, “या भारत में अनुसूचित बैंकों जिनके अंतर्गत प्राइवेट सेक्टर बैंक भी हैं, के माध्यम से” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. जी. 20025/1/2014-एसएस-III]

आर.के.गुप्ता, संयुक्त सचिव

**टिप्पण:** मूल स्कीम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड (3), उपखंड (I) में का.नि.आ. 1509 तारीख 2 सितम्बर, 1952 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार उसमें अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1190(अ) तारीख 30 दिसम्बर, 2016 द्वारा संशोधन किए गए।

**MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT****NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th January, 2017

**G.S.R. 6(E).**—In exercise of the powers conferred by section 5 read with sub-section (1) of section 7 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), the Central Government hereby makes the following Scheme further to amend the Employees' Provident Funds Scheme, 1952, namely:-

1. (1) This Scheme may be called the Employees' Provident Funds (Amendment) Scheme, 2017.
- (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
2. In the Employees' Provident Funds Scheme, 1952,-
  - (a) in paragraph 38, in sub-paragraph (1), after the words and letters "or through PayGov platform", the words "**or through scheduled banks in India including private sector banks**" shall be inserted;
  - (b) in paragraph 48, after the words and letters "or through PayGov platform", the words "**or through scheduled banks in India including private sector banks**" shall be inserted.

[F. No. G-20025/1/2014-SS-II]

R.K. GUPTA, Jt. Secy.

**Note:** The principal scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) *vide* number S.R.O. 1509, dated the 2<sup>nd</sup> September, 1952 and was lastly amended *vide* notification number G.S.R. 1190(E), dated the 30<sup>th</sup> December, 2016.